सं0सं0–1/विविध–11/2019 – 520 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–17/03/2025

विषयः– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढ़ी के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु० 5,15,00,00,000/- (रुपये पाँच अरब पन्द्रह करोड़) के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" के तहत इस परियोजना हेतु कुल रु० 18,11,00,000/–(रुपये अठारह करोड़ ग्यारह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय राज्यादेश सं0–312(1) दिनांक–07.03.2019 द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढ़ी के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 5,15,00,00,000/- (रुपये पाँच अरब पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में आवंटित कुल राशि रु० 150.00 करोड़ एवं समानुपातिक राज्यांश मद की रु० 100.00 करोड़ अर्थात् कुल रु० 250.00 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष प्राक्कलित राशि के व्यय का वहन संबंधित राज्यांश/राज्य योजना मद से Top up Fund के रूप में किया जाना है।

2– अबतक इस योजना अन्तर्गत निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को उपलब्ध करायी गयी राशि का विवरणी निम्नवत् है–

क्र० सं०	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश	निगम को अब तक आवंटित राशि	विभागीय राज्यादेश सं०
1	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढ़ी	केन्द्रांश	50,25,00,000	सं० 1050(1), दिनांक 09.12.20
		राज्यांश	6,93,24,500	
2		केन्द्रांश	10,00,00,000	सं० 56(7), दिनांक 03.08.2021
		राज्यांश	6,66,66,600	
3		केन्द्रांश	89,75,00,000	सं० 334(7), दिनांक 28.11.2023
		राज्यांश	50,00,00,000	
4		राज्यांश	20,40,00,000	सं० 457(7), दिनांक 30.01.2024
5		राज्यांश	16,00,00,000	सं० 223(7), दिनांक 18.10.2024
		कुल केन्द्रांश	**1,50,00,00,000**	
		कुल राज्यांश	**99,99,91,100**	
6		राज्य योजना	6,57,00,000	सं० 560(7), दिनांक 18.03.2023
7			40,00,00,000	सं0 598(7), दिनांक 29.03.2022
8			89,00,00,000	सं0 603(7), दिनांक 30.03.2023
9			44,00,00,000	सं0 193(7), दिनांक 25.08.2023
10			66,80,00,000	सं0 633(7), दिनांक 14.03.2024
	कुल–		**2,46,37,00,000/-**	
	कुल योग (केन्द्रांश+राज्यांश+राज्य योजना)–		**4,96,36,91,100/-**	

3— ज्ञातव्य है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढी के निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्राक F.No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, Date: 08 08.2024 द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कुल 700.00 करोड के स्कीमों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत कुल राशि मे से वर्णित स्कीम हेतु कुल 60.00 करोड की स्वीकृति है। उक्त स्वीकृत कुल राशि अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक— F.No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)- SACE-48, Dated: 20.01.2025 एवं वित्त विभाग के पत्राक—55/वि०, दिनांक—21.01 2025 के द्वारा "Under Part-I" के तहत द्वितीय किस्त के रूप मे स्वास्थ्य विभाग को रू० 238.00 करोड मात्र की राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई है। विदित हो कि वित्त विभाग पत्र सख्या— 481/वि०, दिनांक—09 08 2024 के आलोक Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under part-I के तहत प्रथम किस्त के रूप में विभिन्न स्वीकृत स्कीम अंतर्गत कुल रू० 462.00 करोड व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्त्तमान समय मे उपबंधित राशि के अनुरूप रू० 18 11 करोड मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति दी जानी है।

4— उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढी के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु० 5,15,00,00,000/- (रुपये पॉच अरब पन्द्रह करोड) के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2024—25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" के तहत इस परियोजना हेतु कुल रु० 18,11,00,000/ -(रुपये अठारह करोड ग्यारह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं0 –312(1) दिनांक—07.03.2019 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17 04 98, 2880/वि0(2), दिनाक 06 05.06,2938/वि0(2),दिनाक- 08 04 08, 3758/वि0, दिनाक -31 05 2017 एवं 12888/वि०, दिनाक -03 12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7— इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या—20, मुख्य शीर्ष- 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान, लघु शीर्ष- 789 –अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उप—शीर्ष—0101—मेडिकल कॉलेजो हेतु, विपत्र कोड— 20—4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53—मुख्य निर्माण कार्य के 0101 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे उपबधित/ अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

8— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

9— वित्त विभागीय पत्र सख्या—632/वि०, दिनांक—04 07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या—10792/वि०, दिनांक—06.12 2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" के लिए पूंजीगत परियोजनाओ से सबंधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वियन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID---------- में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वियन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10— वित्त विभागीय पत्रांक—432/वि०, दिनाक—29.03.2023 एवं पत्रांक—55/वि०, दिनांक—21.01.2025 के आलोक मे ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12— प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—1/विविध—11/2019 के पृष्ठ—49/टि0 पर प्राप्त है।

14-- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

17/3/25

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—1/विविध—11/2019 520 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक—17/03/2025

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सीतामढी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—7, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई—मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

17/3/25

सरकार के अपर सचिव